(ए.डी.एम.)

6.6.18

अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी मय वकील उप०। विप्रार्थी के वकील उप०। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गांव के कुछ लोगो के बहकावे में आकर रेफरेंस प्रस्तुत किया था, जबकि इस भूमि पर कभी भी उसका या उसके परिवार का कब्जा रहा ही नहीं। जब गांव के मौजिज लोगो ने लोक अदालत की भावना से समझाईस की गई, तो उसे अपनी

नि.अं.
[illegible]

Bayey
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गलती का अहसास हुआ इस कारण से यह रेफरेंस अब चलाना नहीं चाहती हूँ तथा विड्रो करना चाहती हूँ। इस पर हमने प्रार्थिनी व उसके वकील को सुना। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थिनी ने यह रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध राजस्व वाद संख्या 169/1972 उनवान मोतीलाल बनाम बुला में सहायक कलेक्टर बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-10-1972 को निरस्त करने हेतु पेश किया है। चूंकि प्रार्थिनी लोक अदालत की भावना से रेफरेंस आगे चलाना नहीं चाहती व पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा होना बताया है, लिहाजा प्रार्थिनी द्वारा पेश रेफरेंस आवेदन अरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	